कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती स्वाति भटनागर, प्रबन्धक, गुरू नानक भवन संस्थान,(समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती स्वाति भटनागर द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3716/2019 स्वाति भटनागर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3716/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 द्वारा अपीलार्थी के पुत्र के मानसिक रोग से पीड़ित होने को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील प्रत्यर्थी विभाग को रिमान्ड करते हुए अपीलार्थी को तीन रिक्त पद बताते हुए अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में अपीलार्थी के सम्बन्ध में नवीन आदेश पारित करने एवं तब तक आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपीलार्थी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पुत्र के 80 प्रतिशत मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग होने एवं उसके पूर्णतया अपीलार्थी पर निर्भर रहने को मद्देनजर रखते हुए स्वयं को गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर में ही प्रबन्धक (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) के पद पर यथावत पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार अपीलार्थी को तीन रिक्त पद दर्शाते हुए अपना अभ्यावेदन पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में इन स्थानों का उल्लेख नहीं करते हुए पुनः अपने पूर्व पदस्थापन स्थान (गुरू नानक भवन संस्थान) में ही प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई। उक्त संस्थान में अन्य प्रधानाचार्य का पदस्थापन हो जाने के कारण वर्तमान में पद रिक्त नहीं है। अतः अपीलार्थी का पदस्थापन यहां किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं एवं उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य एवं छात्र हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त तथ्यों एवं आधारों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती स्वाति भटनागर द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 की अनुपालना में उनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं उनका अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है, अतः श्रीमती भटनागर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान–राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता) 27/01
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/स्वाति भटनागर/3716/2019 **दिनांकः** 29.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/दौसा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. प्रधानाचार्य, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
11 निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)